Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to withdraw draft notification declaring Palamu Tiger Reserve in Jharkhand as a Eco-Sensitive Zone.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य में पलामू बाघ रिजर्व जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और महुआडॉर भेडिया अभ्यारण्य शामिल है, को ईको-सेंसेटिव जोन बनाने का प्रारुप अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 फरवरी, 2018 को जारी किया गया है। इस प्रारुप अधिसूचना पर विभाग द्वारा सुझाव/आपत्ति आमंत्रित की गई है। परंतु यह अधिसूचना अब तक कहीं भी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, पंचायत भवनों, प्रखण्ड कार्यालयों और समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित नहीं की गई है। इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के बावजूद मुझे भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। क्या इस प्रारुप पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त की जानी चाहिए?

जनहित में इस अधिसूचना को लागू ही नहीं किया जाना चाहिए। प्रारुप अधिसूचना के अनुसार ई.एस.जेड. का कुल क्षेत्रफल झारखंड राज्य में 1572.45 वर्ग किलोमीटर है। ई.एस.जेड. की सीमा शून्य से 5 किलोमीटर तक है। ई.एस.जेड. के अंतर्गत 398 ग्राम आ रहे हैं। ई.एस.जेड. बनाने की सीमा को 5 किलोमीटर से कम करके 2 किलोमीटर कर देना चाहिए। जिससे ग्रामीणों को सीधे-सीधे इससे राहत मिल जायेगी।

पलामू बाघ रिजर्व आज से 44 वर्ष पूर्व वर्ष 1974 में बाघों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु घोषित किया गया था। वर्तमान में इस क्षेत्र को ई.एस.जेड. बनाने की क्या आवश्यकता हो रही है? प्रारुप अधिसूचना में कहा गया है कि "राज्य सरकार स्थानीय व्यक्तियों से परामर्श से और अधिसूचना के अनुबंधों का पालन करते हुए एक जोनल मास्टर प्लान बनायेगी।" दो साल में राज्य सरकार कैसे सभी पक्षों से परामर्श कर जोनल मास्टर प्लान का निर्माण करेगी? प्रारुप अधिसूचना में कहा गया है कि जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, जोनल मास्टर प्लान में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।" परंतु सरकारी तंत्र द्वारा इस प्रारुप अधिसूचना की आड़ में अभी से सभी क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध लगाना शुरु कर दिया है। दिनांक 22 जून, 2018 को चराई कर रही एक सौ से अधिक बकरियों व अन्य पशुओं को वन विभाग ने जब्त कर रेंज कार्यालय ले

गये और सभी पशुपालकों से निजी मुचलके लिखवाकर पशुओं को छोड़ा गया। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसका दुरुपयोग होना शुरु हो गया है।

अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों में 17 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। इसमें यह स्पष्ट ही है कि राज्य सरकार इनमें से कौन-कौन से उपाय कब करेगी। राज्य सरकार इन योजनाओं को पहले लागू करें। इसमें बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं, नई आरा मिलों, काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना व ईंट भट्टों की स्थापना आदि पर रोक लगाई गई है। यह बिल्कुल उचित नहीं है। इससे यहां के विकास कार्य अवरुद्ध होंगे और लोग बेरोजगार हो जायेंगे। इसकी आड़ में उत्तर कोयल जलाशय योजना में परेशानी हो सकती है। विनियमित क्रियाकलापों में ई.एस.जेड. के एक किलोमीटर बाहर तक होटलों और रिजॉटों की वाणिज्यिक स्थापना व संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञा नहीं होगी अर्थात् ई.एस.जेड. के अंतर्गत आने वाले 398 गांवों में संनिर्माण नहीं होगा। होटल नहीं बनेंगे, तो पर्यटन कैसे विकसित होगा। इन 398 गांवों के लोगों को घर भी नहीं बनाने दिया जायेगा। इससे ग्रामीणों को ज्यादा परेशानी होगी। इन सब बिंदुओं को ध्यान देते हुए यह ई.एस.जेड. की सीमा को कम किया जाये तथा निजी भूमि पर निर्माण कार्यों की अनुमति दी जायें। वृक्षों की कटाई-प्रारुप अधिसूचना में कहा गया है कि राजस्व व निजी भूमि पर भी वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। यह अत्यंत आपत्तिजनक उपबंध है। निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने होंगे। भ्रष्टाचार बढ़ेगा। प्रारुप अधिसूचना में कहा गया है कि कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस प्रकार के निषेधात्मक उपबंधों से मानव जीवन और जंगली जानवर के बीच संघर्ष और कटुता उत्पन्न होगी। क्या हम मानव जीवन और जंगल व वन्यजीवन के संघर्ष की बुनियाद पर पर्यावरण की संरक्षा कर पाएंगे।

मैं जानना चाहता हूँ जिम कार्बेट, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना बान्दीपुर, पेरियार इत्यादि वन अभ्यारण्यों में भी इस प्रकार के प्रतिबंध लागू हैं? क्या विकसित देशों के ई.एस.जेड. में सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण पर प्रतिबंध हैं। वन्य क्षेत्र के निवासियों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और रोजगार से वंचित कर हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करेंगे? क्या इस प्रारुप अधिसूचना के वर्तमान स्वरुप से वामपंथी उग्रवाद को और अधिक पनपने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? क्या माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी जिलों के विकास की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी?

प्रारुप अधिसूचना में निगरानी समिति गठित करने का उल्लेख है जिसमें कुल सात सदस्य होंगे। इस समिति में पंचायत से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व करने वाले किसी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। फिर कैसे

स्थानीय लोगों की बात समिति तक पहुचेगी। अतः निगरानी समिति की संरचना में परिवर्तन आवश्यक है।

मेरा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आग्रह है कि उक्त वर्णित प्रारुप अधिसूचना को वापस लिया जाये तथा अंतिम अधिसूचना लागू करने से पूर्व जोनल मास्टर प्लान एवं राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को लागू करवाया जाये।